

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- २५/०१/१९

सं० सं०-१७/ए ३-०१/२०१९ - ४०(१७७) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली २००८ एवं (संशोधन) नियमावली २०१३ के आलोक में ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के पैथोलॉजी विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :-

पैथोलॉजी विभाग				
बि०स्वा०से०				
क्र० सं०	नाम	आवेदन संख्या	आरक्षण कोटि	पदस्थापन
1	रचना कुमारी	CR201800345	अनारक्षित (अ०पि०व०)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	दुर्गानन्द झा	CR201800906	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
3	सीमा कुमारी	CR201800941	अनारक्षित (अ०जा०)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
4	भीमसेन कुमार	CR201800010	अनारक्षित (अ०पि०व०)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
पी०जी०एस०				
1	कृति प्रिया	CR201800504	अनारक्षित (अ०जा०)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	अभिलाषा	CR201800191	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3	शादान रबाब	CR201800329	अनारक्षित (अ०पि०व०)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
4	नवनीता कुमारी	CR201800386	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
5	प्रियंवदा	CR201800771	अनारक्षित (अ०ज०जा०)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
6	रितु राज	CR201800583	अनारक्षित (अ०पि०व०)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
7	अर्चना रानी	CR201800688	अनारक्षित (अ०जा०)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
पी०जी०ओ०				
1	रुबैया अहमद	CR201800130	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
2	सीमा सिन्हा	CR201800163	अनारक्षित (पि०व०म०)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
3	कंचन कुमारी	CR201800518	अनारक्षित (पि०व०म०)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4	निवेदिता महतो	CR201800302	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

१

5	मेघा झा	CR201800515	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
6	दिप्ती पनवर	CR201801089	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
7	प्रियाली	CR201800570	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
8	आलोक कुमार	CR201800016	अनारक्षित (पि0व0)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
9	निधिश कुमार	CR201800314	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्चोर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवल-9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्चोर अवधि की समाप्ति के उपरांत जैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्चोर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्चोर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त ट्यूटर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य नवनियुक्त ट्यूटर द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये ट्यूटर के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य सबसे पुराने पदस्थापित ट्यूटर को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने ट्यूटर के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए 3-01/2019- 40 (17) पटना, दिनांक :- 22/01/19

- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓

सरकार के संयुक्त सचिव।